प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
20 दिसंबर,2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2022 के प्रतिवेदन संख्या 32 आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों और राजकोषीय नीति विवरणों में लगाए गए अनुमानों के साथ वास्तविक की तुलना करता है और प्रकटीकरण विवरणों में सूचना की पर्याप्तता की जांच करता है।

अध्याय 1 परिचय

अधिनियम 7ए के माध्यम से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, और ऐसी समीक्षा की रिपोर्ट संसद के दोनों सदन के पटल पर रखी जाएगी। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 8 में निर्धारित है कि ऐसी वार्षिक समीक्षा वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के संबंध में एक गैर-मानक वर्ष था। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में वैश्विक संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी आई और वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम की रूपरेखा यह अनिवार्य करती है कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित करे और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक और केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित

करने का प्रयास करे |

इसके अलावा, अधिनियम के नियम 3 के साथ पठित धारा 4(1)(ए) के अनुसार वर्ष 2018-19 से राजकोषीय घाटा (एफडी) मे सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की वार्षिक कमी को हासिल किया जाना अनिवार्य है जिसे वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य था।

गारंटियों के संबंध में, एफआरबीएम तंत्र यह प्रदान करता है कि केंद्र सरकार 2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में, सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत से अधिक सीएफआई की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

[पैरा 1.1 और पैरा 1.2]

अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां

नियम 7 के साथ पठित धारा 7 केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की मध्य वर्ष (सितंबर के अंत) की समीक्षा निर्धारित करती है। यदि समीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बीई के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) राजस्व घाटा (आरडी) और राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष के लिए बीई के 70 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्रभारी मंत्री पहली छमाही की समाप्ति के तुरंत बाद के सत्र के दौरान संसद में एक विवरण देगा, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण होगा।

[पैरा 2.1]

प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की मध्य-वर्ष की समीक्षा के दौरान, यह सामने आया कि गैर-ऋण प्राप्ति, लक्षित स्तर से 14.83 प्रतिशत कम वसूल की गई थी। हालांकि, 30 सितंबर 2020 तक राजस्व घाटा 55.20 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 70 प्रतिशत के लक्षित स्तर से 44.80 प्रतिशत अधिक था।

[पैरा 2.3]

संघ सरकार के वित्त लेखों और वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹19,75,314 करोड़ था, जो मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का 9.98 प्रतिशत था। हालांकि, बजट एक नज़र में (बीएजी) में दिखाया गया राजकोषीय घाटा, ₹18,18,291 करोड़ था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 9.18 प्रतिशत था।

[पैरा 2.7]

अध्याय 3: सरकारी ऋण, गारंटी और ऋण स्थिरता का विश्लेषण

वर्तमान में लागू एफआरबीएम रूपरेखा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करेगी | अधिनियम में परिभाषित 2020-21 के अंत में केंद्र सरकार का ऋण ₹1,21,91,608 करोड़ था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 61.57 प्रतिशत था।

[पैरा 3.1.1]

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रही है।

[पैरा 3.2.2]

अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर), सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा बाजार से जुटाए गए संसाधन हैं, अर्थात कंपनियां, निगम और स्वायत्त निकाय, और उनका उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। प्रासंगिक वर्ष के लिए वित्तीय संकेतकों की गणना में ईबीआर का उपयोग करके किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। मौजूदा लेखा ढांचे और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में सरकार के लेखों में इस तरह के वित्तपोषण के पूर्ण चित्रण का प्रावधान नहीं है। 2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सेवित बांड जारी करने के माध्यम से ₹26,665.10 करोड़ की राशि जुटाई गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ईबीआर के माध्यम से एकत्रित संचयी निधि ₹1,38,535.50 करोड़ थी।

[पैरा 3.3]

ऋण स्थिरता को सरकार की उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सरकार एक अवधि में जीडीपी अनुपात में निरंतर समान ऋण बनाए रखे और अपने ऋण को चुकाने की क्षमता रखे । ऋण स्थिरता विश्लेषण से पता चला है कि जहां 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऋण-जीडीपी अनुपात लगभग 49 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 और 2020-21 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। ऋण वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः 52.33 प्रतिशत और 61.57 प्रतिशत बढ़ गया।

ऋण पर औसत ब्याज लागत में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी, जो 2016-17 में 6.81 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 6.35 प्रतिशत हो गई, लेकिन ऋण पर चुकाया गया वास्तविक ब्याज पांच साल की अवधि में लगातार बढ़ता गया। 2016-17 में भुगतान किया गया ब्याज ₹5,04,512 करोड़ था जो समग्र ऋण के विस्तार के कारण बढ़कर ₹2020-21 में 7,20,984 करोड़ हो गया। इस प्रकार, यद्यपि समग्र ऋण भार बढ़ रहा था, सरकार कम लागत वाली

निधियां प्राप्त करने में सक्षम थी।

[पैरा 3.4]

अध्याय 4: राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान और वास्तविक

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) और अनुदान की मांग के साथ दोनों सदनों में राजकोषीय नीति विवरण अर्थात्, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह वित्तीय नीति रणनीति (एमटीएफपी सह एफपीएस) विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (एमईएफ) विवरण रखना आवश्यक है। मध्यावधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरण उस सत्र के तुरंत बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें उपर्युक्त अन्य नीतिगत विवरण प्रस्तुत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एमटीईएफ विवरण संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया।

[पैरा 4.1]

अध्याय 5: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय, निर्धारित वित्तीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण निर्धारित प्रारूप (डी-1 से डी-5) में करेगी | विभिन्न प्रकटीकरण विवरणों में शामिल जानकारी संघ सरकार वित्त लेखा (यूजीएफए) में निहित आंकड़ों के अनुरूप नहीं थी, जिसे संघ सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है।

[पैरा 5.2]

BSC/TT/97-22